[1][नियम 88घ : इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरे अंतर्विष्ट करने वाले स्वजनित विवरण में उपलब्ध इनपुट कर प्रत्यय और जो विवरणी में उपलब्ध है, में भिन्नता से व्यौहार करने की रीति

(1) जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्ररूप जीएसटीआर–3ख में प्रस्तुत कर अवधि या अवधियों के लिए विवरणी में उसके द्वारा उपलभ्य इनपुट कर प्रत्यय की रकम, उक्त कर अवधि या अवधियों की बाबत **प्ररूप जीएसटीआर 2ख** में इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरे अंतर्विष्ट करने वाले स्वजनित विवरण के अनुसार ऐसे व्यक्ति को उपलभ्य इनपुट कर प्रत्यय, यथास्थिति, ऐसी रकम या ऐसे प्रतिशत जो परिषद् द्वारा सिफारिश की जाए, से अधिक है, उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को सामान्य पोर्टल पर इलैक्ट्रानिक रूप से **प्ररूप जीएसटी डीआरसी–01ग** के **भाग क** में ऐसी भिन्नता की सूचना दी जाएगी और ऐसी सूचना की एक प्रति उसे उक्त भिन्नता दर्शित करते हुए और–

(क) **प्ररूप जीएसटी डीआरसी–03** के माध्यम से धारा 50 के अधीन संदेय ब्याज के साथ उक्त **प्ररूप जीएसटीआर–3ग** में उपलभ्य इनपुट कर प्रत्यय के आधिक्य में समतुल्य रकम को सात दिन की अवधि के भीतर संदत्त करेगा, या

(ख) सामान्य पोर्टल इनपुट कर प्रत्यय में उपरोक्त भिन्नता के लिए कारण वर्णित करने, का निदेश देते हुए सात दिन की अवधि के भीतर रजिस्ट्रीकरण के समय प्रदान किए गए या समय–समय पर यथा संशोधित उसके ई–मेल पते पर भी सात दिन की अवधि के भीतर भेजी जाएगी ।

(2) उपनियम (1) में रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उक्त उपनियम में निर्दिष्ट सूचना की प्राप्ति पर, या तो,

(क) **प्ररूप जीएसटी डीआरसी–03** के माध्यम से धारा 50 के अधीन संदेय ब्याज की रकम के साथ पूर्णतः या भागतः **प्ररूप जीएसटी डीआरसी–01ग** के **भाग क** में यथा विनिर्दिष्ट इनपुट कर प्रत्यय के आधिक्य के समतुल्य रकम उक्त उपनियम में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर संदत्त करेगा और उसके ब्यौरे सामान्य पोर्टल पर इलैक्ट्रानिक रूप से प्ररूप जीएसटी डीआरसी–01ग के भाग ख में प्रस्तुत करेगा, या

(ख) इनपुट कर प्रत्यय के आधिक्य की रकम जो अभी तक संदत्त किए जाने के लिए शेष है, यदि कोई हो, की बाबत कारण सम्मिलित करते हुए **प्ररूप जीएसटी डीआरसी–01ग** के **भाग ख** में इलैक्ट्रानिक रूप से सामान्य पोर्टल पर प्रत्युत्तर प्रस्तुत करेगा ।

(3) जहां उपनियम (1) में निर्दिष्ट सूचना में विनिर्दिष्ट कोई रकम, उक्त उपनियम में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर संदत्त किए जाने से शेष रह जाती है और ऐसी चूक के लिए रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा कोई स्पष्टीकरण या कारण प्रस्तुत नहीं किया जाता है या जहां ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण या कारण समुचित अधिकारी द्वारा स्वीकार करने योग्य नहीं पाया जाता है, तो उक्त रकम, यथास्थिति, धारा 73 या धारा 74 [2][या धारा 74क] के उपबंधों के अनुसार मांग के लिए दायी होगी।

---

1 अधिसूचना क्रमांक 38/2023–केन्द्रीयकर, दिनांक 04.08.2023 द्वारा नियम 88घ अंतस्थापित (प्रभावशील दिनांक 04.08.2023)।

2 अधिसूचना क्रमांक 20/2024–केन्द्रीय कर, दिनांक 08.10.2024 द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.11.2024)।